

>

Title: Need to implement the recommendations of Renke Commission report on Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): वर्ष 2005 में माननीय बालकृष्ण रेनके की अध्यक्षता में विमुक्त एवं घुमन्त जातियों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अध्ययन के बाद 2 जुलाई 2008 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को सौंप दिया। परंतु आज तक इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए जल्द लागू किया जाए एवं जनहित में निम्न मांग करता हूँ।

1. राजस्थान के विशेषकर जालौर सिरोही जिले के गाय पालने वाले खारी हरियाणा एवं पंजाब में गाय चराने जाते हैं उन्हें निःअक्रमण पत्र दिए जाएं तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए।
2. राजस्थान के भेड़ पालक खड़ी जाति के लोग अकाल के कारण मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में जाते हैं उन्हें भी निःअक्रमण पत्र जारी करवाए तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए।
3. पिछले 10-15 साल से सभी चीजों के दाम बढ़े परंतु उन के भाव घटे हैं फलस्वरूप राजस्थान का भेड़पालक बेहाल हो गया है जिसे बचाने हेतु विदेश से आयात होने वाली उन पर एन्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाकर देशी उन उत्पादकों को सक्षम प्रदान की जाए।
4. जिस तरह से केन्द्र सरकार ने वन अधिकार कानून बनाया है उसी तरह से भेड़पालक एवं गायपालक की गोचर भूमि का उपयोग मवेशी चराने हेतु करते हैं उन्हें गोचर में मवेशी चराने का कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए।
5. बन्जारा एवं कलबी जातियों के कल्याण हेतु योजना बनाई जाए।